संख्या-14/2020/1091/31-2020-06/2017

प्रेषक,

कुमार कमलेश,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।**
2. **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।**
3. **समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।**
4. **पुलिस कमिश्नर, लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।**

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग **लखनऊः दिनांकः 23 अक्टूबर,2020**

विषयः- प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-13/2020/755/31-2020-06/2017, दिनांक 27 अगस्त, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रम चिन्हित कर प्रेषित किए गए हैं। उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में यथावश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 27 अगस्त, 2020 के साथ संलग्न सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों में निम्न कार्यक्रमों को सम्मिलित कर उनका क्रमांक निम्नवत् रखे जाने का निर्णय लिया गया हैः-

क्र0सं0	प्रपत्र संख्या	चिन्हित प्राथमिकताएं	नोडल विभाग
9	9.4	कृषि आधारभूत संरचना (Agriculture Infrastructure)	कृषि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

12	12.1	सामुदायिक शौचालय का निर्माण	पंचायतीराज
	12.2	आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्यों की प्रगति	
	12.3	हैण्डपम्पों का रीबोर/मरम्मत	
	12.4	पंचायत भवन की शत-प्रतिशत सन्तृप्तता	
	12.5	एक्शन साफ्ट/प्रिया साफ्टवेयर पर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि/अनुदान की धनराशि का व्यय	
38	38.1	आत्म निर्भर भारत	संस्थागत वित्त

3- उक्त योजनाओं पर शासनादेश दिनांक 27 अगस्त, 2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार समीक्षा करने का कष्ट करें। उक्त कार्यक्रमों में से कतिपय कार्यक्रमों के प्रपत्र पूर्व में प्रेषित किए जा चुके हैं तथा कुछ कार्यक्रमों के प्रपत्र प्रशासकीय विभाग से उपलब्ध होने के उपरान्त प्रेषित कर दिए जाएगें।

4- शासनादेश दिनांक 27 अगस्त, 2020 के साथ संलग्न सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम त्रुटिवश छूट गया है तथा उस कार्यक्रम का प्रपत्र सभी को प्रेषित किया जा चुका है। त्रुटिवश छूटा हुआ कार्यक्रम निम्नवत् हैः-

क्र0सं0	**प्रपत्र संख्या**	**चिन्हित प्राथमिकताएं**	**नोडल विभाग**
21	21.2	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0)	अल्पसंख्यक कल्याण

कृपया उपरोक्त कार्यक्रमों पर शासनादेश दिनांक 27 अगस्त, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार समीक्षा करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-14/2020/1091/31-2019-06/2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
6. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
7. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्री, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं मा0 राज्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आमोद कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।